E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (5) अपील–03/2022.........................

आदेश

प्रस्तुत वाद "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" के अंतर्गत श्री सुभाष कुमार (Emp. ID No.- AEN02924), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, नालंदा द्वारा दाखिल अपील में अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार ने दिनांक–26.08.2022 के आदेश द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा पारित आदेश सं0–1630 दिनांक–02.07.2022 को रद्द करते हुए वाद को Remand किया गया है। वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल द्वारा आवेदक को दी गई। आवेदक उपस्थित।

आवेदक श्री सुभाष कुमार, (Emp. ID No.- AEN02924), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा का कथन है कि दिनांक– 05.05.2022 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा में सर्वे कार्य की समीक्षा की गई। श्री कुमार द्वारा बताया गया कि मुझे दो राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसमें एक मौजा में खानापुरी चल रहा है तथा दूसरे मौजा का किस्तवार चल रहा है। दिनांक– 11.05.2022 को मेरे ईमेल पर निदेशालय से कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं कार्य में शिथिलता बरतने के संबंध में स्पष्टीकरण आया था। स्पष्टीकरण का जबाव मेरे द्वारा दिनांक–14.05.2022 को ईमेल के द्वारा भेज दिया गया। लेकिन भूलवश ईमेल Address survey.directorlrs@gmail.com पर भेज दिया गया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तथा इसकी पुनरावृति भविष्य में नहीं करेंगे। मेरा एक मौजा बाढ़ प्रभावित रहने के बावजूद मैं किस्तवार कार्य पूर्ण कर लिए तथा दूसरा मौजा– मोती विगहा, थाना नं0–72 के याद्दाश्त लिखने के दौरान रैयतों के आपसी विवाद तथा रैयतों के द्वारा जमीन के कागजी साक्ष्य समय पर नहीं देने के कारण याद्दाश्त लिखने में मुझे बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। इसी बीच नालंदा जिला में फेज–2 का कार्य प्रारंभ हो गया। फेज–2 अन्तर्गत मुझे गिरियक अंचल के दो राजस्व ग्राम– बकरा और चोरटुआ आवंटित किया गया। शिविर प्रभारी के आदेशानुसार इन दोनों ग्रामों के प्रपत्र–5 सॉफ्टवेयर पर इंट्री करनी पड़ी और फेज–1 और 2 मौजों के बीच की दूरी अधिक होने के बाद भी सरमेरा से गिरियक जाकर ग्राम सभा करना पड़ा। इसी बीच ग्राम पंचायत चुनाव में मेरा तीन बार पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति किया गया। जिससे सर्वे कार्य में थोड़ा विलंब हुआ है। दिनांक– 10.07.2022 को मेरे द्वारा मोती विगहा मौजा का LPM बांटना था कि निदेशालय से मेरे ईमेल पर संविदा नियोजन रद्द करने का सूचना आया। जब यह सूचना मैं शिविर प्रभारी और बन्दोबस्त पदाधिकारी को बताए तो उनके द्वारा कहा गया कि आपको बर्खास्त किए जाने की सूचना हमे निदेशालय से नहीं मिली है। जबकि शिविर प्रभारी और बन्दोबस्त पदाधिकारी मेरे द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट है। मैं अपने शिविर में वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हमेशा कार्य करता रहा हूँ और मेरा साप्ताहिक MIS Report में प्रदर्शन बेहतर रहा है। मुख्यालय स्तर से भी मेरे शिविर के कार्य की प्रगति की निरीक्षण किया गया, जिसमें मेरे द्वारा किए गए कार्य से बन्दोबस्त पदाधिकारी भी संतुष्ट रहे है। नम्र निवेदन है कि मेरी संविदा बहाल कर मुझे सेवा का मौका प्रदान किया जाय।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक– 05.05.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा में किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें श्री सुभाष कुमार (Emp. ID No.- AEN02924), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, सरमेरा, शिविर–2 के राजस्व ग्राम– कोतरा, थाना नं0–79 में किस्तवार कार्य दिनांक– 20.10.2021 से प्रारंभ किया गया तथा समीक्षा की तिथि तक 2090 खेसरों में से मात्र 286 खेसरों का किस्तवार कार्य

किया गया है। इसी प्रकार मोती बिगहा, थाना नं0–72 में दिनांक– 13.11.2021 से खानापुरी कार्य आरंभ किया गया, परंतु 06 महीने व्यतीत होने के बाद भी प्रारूप प्रकाशन नहीं किया गया। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के आलोक में किस्तवार कार्य 30 कार्य दिवसों में पूरा किया जाना है, परंतु श्री सुभाष कुमार द्वारा निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। निदेशालय के पत्रांक– 1112 दिनांक– 11.05.2022 के द्वारा श्री कुमार से कार्य में शिथिलता बरतने एवं अभिरूचि नहीं लेने के कारण तीन दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करना वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवेहलना है। स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करना एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समय में पूरी नहीं किए जाने से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा विशेष सर्वेक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। इनका कृत्य, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को इंगित करता है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके लिए योजना की अवधि निर्धारित है। इस तरह के संविदा कर्मी को सेवा में बनाये रखने से अन्य कर्मियों पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसके दृष्टिगत रखते हुए श्री कुमार की सेवा में बनाये रखना विभाग के हित में नहीं है। आवेदक द्वारा कोई नया साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उक्त के आलोक में ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के तहत् श्री सुभाष कुमार (Emp. ID No.- AEN02924), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन का संविदा पुनः रद्द किया जाता है।

ह0/–
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–03/2022 1380 पटना, दिनांक :– 09/02/2023

प्रतिलिपिः– श्री सुभाष कुमार (Emp. ID No.- AEN02924), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा, Email- shubash51299@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–03/2022 1380 पटना, दिनांक :– 09/02/2023

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–03/2022 1380 पटना, दिनांक :– 09/02/2023

प्रतिलिपिः– संबंधित स्थापना, सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–03 / 2022......1380......पटना, दिनांक :–09/03/2023

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) क्षे0स्था0–01 / 2022......1380......पटना, दिनांक :–09/03/2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप